

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग।


अधिसूचना

एस0 ओ0 69 दिनांक - 31-3-2007 झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 23 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची II Part B में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

1. उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 28, 54, 102 एवं 109 के साथ अंकित शर्त "दिनांक 01.04.2007 से करदेय" के स्थान पर "दिनांक 01.04.2008 से करदेय" प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 114 के चतुर्थ स्तम्भ में 'दिनांक 01.04.2008 के प्रभाव से करदेय' शर्त जोड़ी जाती है।
3. उक्त अधिसूचना दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी होगी।

(बिक्री कर/वैट/4/2006)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(जे0 के0 दास)

अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।